डाटा के स्रोतों और कार्यप्रणाली पर व्याख्यात्मक टिप्पणी

आंकड़ा स्रोत :

यह अध्ययन 28 राज्य सरकारों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के बजट दस्तावेजों में प्रस्तुत प्राप्तियां और व्यय के आंकड़ों पर आधारित है। यह विश्लेषण राज्य बजटों में प्रस्तुत आंकड़ों और उनके लेखांकन के वर्गीकरण के अनुसार किया गया है। यह विश्लेषण राजस्व और पूंजी खातों में लेखांकन के वर्गीकरण और 'प्लान' एवं 'नॉन-प्लान' में उनके विभाजन के अनुरूप है। राज्य सरकारों से अतिरिक्त संसाधन संग्रहण (एआरएम), मजदूरी और वेतन पर खर्च एवं परिचालन तथा रखरखाव के बारे में कुछ अनुपूरक जानकारी भी प्राप्त की गई है। राज्य सरकारों से सारणी 1 में प्रस्तुत संस्थागत सुधारों से संबंधित जानकारी भी प्राप्त की गई है। राज्यवार योजना लागत के संबंध में योजना आयोग से प्राप्त जानकारी को भी इस विश्लेषण में शामिल किया गया है। टी एफ सी की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकारों को दी गई ऋण राहत से संबंधित आंकड़े वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त हो गए हैं।

इसके अलावा, आंकड़ों की कई मदों जिनमें अर्थोपाय अग्रिम, ओवरड्राफ्ट, बाजार से लिए गए उधार, सरकारी प्रतिभूतियों में राज्य सरकारों के निवेश शामिल हैं, से संबंधित जानकारी रिज़र्व बैंक के अभिलेखों से प्राप्त कर ली गई है।

इस अध्ययन में परिशिष्ट III (पूंजीगत प्राप्तियां) और परिशिष्ट-IV (पूंजीगत व्यय) में सरकारी लेखा सहित सभी मदों के लिए दिए गए आंकड़े समग्र आधार पर हैं। परिशिष्ट-III में पूंजीगत प्राप्तियों की जानकारी है जिसमें निवल आधार पर सरकारी लेखों की जानकारी शामिल है तथा परिशिष्ट IV 2004-05 तक अध्ययन में अपनाई गई पूर्व प्रथाओं के अनुरूप सरकारी लेखा के अलावा पूंजीगत व्यय बताता है। पूंजीगत प्राप्तियों के लिए परिशिष्ट सारणियां (समेकित), विवरण (राज्यवार) और विश्लेषण सरकारी लेखा (निवल) पर आधारित हैं जबकि सरकारी लेखा को पूंजीगत व्यय से निकाल दिया गया है। अतः पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय के साथ-साथ कुल प्राप्तियों और कुल व्यय अब इस अध्ययन के पूर्ववर्ती अंक में दिए गए पिछले वर्षों के आंकड़ों से तुलनीय होंगे।

इस अध्ययन में वर्ष 2003-04 (लेखा) के लिए पूंजीगत प्राप्तियों और पूंजीगत व्यय से संबंधित आंकड़ों (विवरण 32) को भी शामिल किया गया है ताकि तुलनीय आंकड़े प्राप्त हो सकें क्योंकि 2005-06 के बजट अध्ययन में ये आंकड़े सकल आधार पर दिए गए थे।

इस अध्ययन में प्रयोग किए गए प्रत्येक राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद संबंधी आंकड़ों को केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) से राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों से भी लिया गया है। जहाँ कहीं जीएसडीपी आंकड़े उपलब्ध नहीं थे वहाँ आंकड़ों को पिछले तीन वर्षों की औसत विकास दर पर आधारित अनुमानों के अनुसार लिया गया है।

सकल घरेलू उत्पाद से संबंधित आंकड़े वर्तमान बाजार मूल्य से संबंधित हैं और उन्हें 2005-06 तक (सं.अनु.) सीएसओ से 2006-07 (ब.अ.) के लिए वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से लिया गया है। यह ध्यान दिया जाए कि किसी भी वर्ष का सकल घरेलू उत्पाद बजट अनुमान (ब.अ.) से संशोधित अनुमान (सं.अ.) में और वहाँ से लेखा में परिवर्तित हो जाता है।

परिशिष्ट सारणियों और विवरणियों में बताया गया प्रतिशत अंतर आंकड़ों को पूर्णांकित करने के कारण अलग-अलग हो सकता है।

कार्यप्रणाली

जैसा कि बजट दस्तावेजों में बताया गया है, व्यय संबंधी आंकड़ों के विश्लेषण को विकासात्मक और गैर विकासात्मक व्यय में विभाजित किया गया है। राजस्व लेखा, पूंजीगत लागत एवं ऋण और अग्रिमों से संबंधित सभी खर्चों को सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं और सामान्य सेवाओं में वर्गीकृत किया गया है। मोटे तौर पर, विकासात्मक व्यय में सामाजिक और आर्थिक सेवाएं शामिल हैं, जबकि सामान्य सेवाओं पर हुए खर्च को गैर विकासात्मक खर्च माना जाता है। यह पुनर्वर्गीकरण बजट में प्रस्तुत कुल प्राप्तियों, व्यय और समग्र शेष में कोई परिवर्तन किए बिना किया जाता है।

परिशिष्ट III और परिशिष्ट IV के डाटा प्रस्तुतिकरण में परिवर्तन के बावजूद अध्ययन में प्रयुक्त समग्र घाटा/अधिशेष (परंपरागत घाटा / अधिशेष) नकद घाटा / अधिशेष (अंतिम शेष और प्रारंभिक शेष के बीच का अंतर), नकदी शेष निवेश लेखा में वृद्धि / कमी और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिम में वृद्धि / कमी के बराबर है क्योंकि परिशिष्ट III और परिशिष्ट IV में बताई गई बाद वाली दो मदों को पूंजीगत प्राप्तियों (सरकारी

लेखा का निवल) और पूंजीगत व्यय (पूंजीगत लेखा को छोड़कर) में से निकाल दिया गया है।

ऋण सांख्यिकी के लिए कार्यप्रणाली

पिछले वर्षों के अध्ययन में रिज़र्व बैंक ने राज्य सरकारों की बकाया देयताओं के आंकड़े निरंतर संकलित किए थे। मदों की विस्तारित व्याप्ति नीचे दी गई है। आशोधित श्रृंखला में राज्य सरकारों की आरक्षित निधियां, जमाराशियां और अग्रिम एवं आकस्मिक निधियां भी शामिल हैं। ऋण श्रृंखलाओं को भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त और राजस्व लेखा में सीएजी द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों को लेकर संकलित किया गया है। उक्त प्रकाशन में किसी विशिष्ट शीर्ष के अंतर्गत डाटा के अभाव में राज्य बजटों के तदनुरूपी डाटा को शामिल किया गया है।

अनुसंधान की सुगमता के लिए मार्चांत 2000 की स्थिति के अनुसार विभक्त हुए 3 राज्यों (बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश) की मदवार बकाया देयताओं को 3 नवनिर्मित संबंधित राज्यों (झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल) के बीच उनकी आबादी के अनुपात में विभाजित किया गया है। राज्यों की ऋण स्थिति के संबंध में परिशिष्ट सारणियां 20 और 21 एवं विवरण 26 और 28 में दिया गया डाटा अनंतिम है।

बाजार से लिए गए राज्यवार ऋणों (विवरण 33 और 34) के आधार पर बकाया राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की परिपक्वता की जानकारी विवरण 35-36 में दी गई है। भारत सरकार की अधिसूचना के आधार पर इन विवरणों में, विभक्त हुए 3 राज्यों की देयताओं को उनके संबंधित नवनिर्मित राज्यों में किए गए विनियोजन को शामिल किया गया है।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा प्रकाशित ऋण संबंधी आंकड़ों को संकलित करने के लिए भारत संघ और राज्य सरकारों के भारत में संयुक्त वित्त और राजस्व लेखा, राज्य बजटों और भारतीय रिज़र्व बैंक के अभिलेखों से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया है।

आशोधित कवरेज

राज्यों की नई ऋण श्रृंखलाओं के संकलन के लिए आशोधित कवरेज निम्नानुसार है।

कुल बकाया देयताओं में समेकित निधि, सरकारी लेखा और आकस्मिक निधि के अंतर्गत विभिन्न लेखा मदें शामिल हैं।

I. समेकित निधि

1. लोक ऋण
   - क) खुले बाजार से लिए गए उधार
   - ख) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से लिए गए उधार
   - ग) एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां
   - घ) राज्य सरकारों द्वारा जारी बांड / डिबेंचर
   - ङ) केन्द्र से लिए गए ऋण
   - च) अन्य
2. भारतीय रिज़र्व बैंक से लिए गए अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट
   1. राज्य भविष्य निर्वाह निधि
   2. अल्प बचत, बीमा और पेंशन निधियां, ट्रस्ट और धर्मादा आदि।
   3. जमाराशियां और अग्रिम
   4. सरकारी लेखा की अन्य मदें

II. लोक लेखा
1. राज्य भविष्य निधि
2. अल्प बचत, बीमा और पेन्शन निधियां, ट्रस्ट और धर्मादा,आदि
3. जमाराशियां और अग्रिम
4. आरक्षित निधियां / शोधन निधि
5. लोक लेखा की अन्य मदें

III. आकस्मिक निधियां

आशाधित कवरेज राज्य सरकारों की देयताओं के संकलन के संबंध में गठित कार्यकारी दल की रिपोर्ट में दिए गए सुझावों के अनुसार तय किया गया है (बॉक्स-2)।

नोट : इस अध्ययन में शामिल परिशिष्ट सारणियों और विवरणों में चुनिंदा वर्षों के आंकड़े दिए गए हैं। 1980-81 से 2003-04 (ब.अ.) तक की अवधि के लिए कुछ प्रमुख राजकोषीय संकेतकों के संबंध में राज्यवार आंकड़े तथा 1990-91 से 2003-04 (ब.अ.) तक की अवधि के लिए राजस्व और पूंजी लेखा में हुए लेनदेनों के संबंध में राज्य विस्तृत आंकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जून 2004 में प्रकाशित राज्य सरकार के वित्त पर सांख्यिकी पुस्तिका में प्रस्तुत किए गए हैं। इस प्रकाशन को रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर आसानी से देखा जा सकता है। 2001-02 से राज्य वित्त अध्ययन भी रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है।